



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55499

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9279 वर्ष 2026**

रीतू @ मिथलेश चौहान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. आवेदक द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुघ्न यादव को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना सकलडीहा, जिला चंदौली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 240 वर्ष 2025, धारा 80(2) और 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन उसे झूठे आरोपों के आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन आवेदक की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी और इस कारण मृतका और आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ और इसी वजह से उसने फांसी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी के कारण हुई है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि मृतका की मृत्यु 03.03.2025 को हुई थी, लेकिन वर्तमान मामले की प्राथमिकी 24.11.2025 को यानी आठ महीने से अधिक समय के बाद दर्ज की गई थी। यहाँ तक कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी 19.06.2025 को यानी तीन महीने के बाद दिया गया था और इसलिए प्राथमिकी अत्यधिक विलंबित है, और यह दर्शाती है कि सूचनादाता ने तीन महीने बाद एक झूठी कहानी गढ़ी है।

7. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 03.12.2025 से यानी पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना का भी आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

11. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलंबित है और इसे आठ महीने बाद दिनांक 19.06.2025 के आवेदन के माध्यम से दर्ज किया गया है और यहाँ तक कि 19.06.2025 का आवेदन भी घटना के तीन महीने बाद दिया गया था और इस अत्यधिक देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अतः प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्राथमिकी में सूचनादाता द्वारा बताई गई कहानी पर गहरा संदेह उत्पन्न करता है, साथ ही, आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को भी इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. इसके अतिरिक्त आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 03.12.2025 से यानी पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जेल में है।

13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- रीतू @ मिथलेश चौहान को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।